



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022025-261325  
CG-DL-E-27022025-261325

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 27, 2025/फाल्गुन 8, 1946

No. 119]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 27, 2025/PHALGUNA 8, 1946

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 153(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (कनिष्ठ लेखा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने से लोप किया गया है, केंद्रीय सिविल लेखा सेवा में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, केंद्रीय सिविल लेखा सेवा, सहायक लेखा अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इनके अधीन संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में यथाविनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि:- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:- वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक लेखा अधिकारी	2153* (2025)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 8 (रु. 47600-151100)  टिप्पण: मौजूदा कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-60015/1/2014/एमएफ.सीजीए/एनजीई/7वां सीपीसी/238, तारीख 04 जुलाई, 2018 के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपये) में स्तर-8 में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपये) में स्तर-9 में गैर-कार्यात्मक उन्नयन

चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन	<p>तीस वर्षों से अधिक नहीं</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।</p>	<p><b>आवश्यक अर्हताएं:</b></p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या लेखा विषय के साथ स्नातक की डिग्री।</p> <p><b>वांछनीय अर्हताएं:</b></p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या वाणिज्य में स्नातकोत्तर या बिजनेस स्टडीज में स्नातकोत्तर या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त) में स्नातकोत्तर या बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में, जो अन्यथा सुयोग्य हैं, अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> यदि चयन के किसी भी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो इन समुदायों के अभ्यर्थियों के मामले में, अनुभव संबंधी योग्यताएं, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिल की जा सकती हैं।</p>	लागू नहीं

परिबीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।	प्रोन्नत या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
<p>सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।</p> <p><b>टिप्पण:</b> सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों को परिबीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविहित विभागीय परीक्षा, अर्थात् सहायक लेखा अधिकारी कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सिविल) उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा।</p>	<p>(i) दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा;</p> <p>(ii) नब्बे प्रतिशत, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, या दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p><b>प्रोन्नति :</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपये) के स्तर-6 में वरिष्ठ लेखाकार, जिन्होंने उस ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा विभाग द्वारा यथाविहित क्षेत्रों में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> जब ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु, यह कि उन्होंने अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम सेवा न की हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा {सहायक लेखा अधिकारी कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (सिविल) परीक्षा} के माध्यम से प्रोन्नति :</b></p> <p>विभागीय अभ्यर्थी जिन्होंने जहां कहीं विहित हो वहां सफलतापूर्वक परिबीक्षा पूरी कर ली है और नीचे दी गई पात्रता सेवा रखते हैं, उनके लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा,-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपये) के स्तर-7 में निजी सचिव जिन्होंने उस ग्रेड में एक वर्ष की नियमित सेवा की हो।</li> <li>वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपये) में स्तर-6 में वरिष्ठ लेखाकार, जिन्होंने उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।</li> <li>वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपये) के स्तर-6 में कम्प्यूटर ऑपरेटर, जिसने उक्त ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।</li> </ol> <p><b>टिप्पण 1 :</b> वे पदधारी जिन्होंने विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायक लेखा अधिकारी कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सिविल) परीक्षा, 2022 पहले ही उत्तीर्ण कर ली है और सहायक लेखा अधिकारी के रूप में अपनी प्रोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन पर परीक्षा पात्रता में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।</p>

		<p><b>टिप्पण 2 :</b> जिन अभ्यर्थियों ने सहायक लेखा अधिकारी कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सिविल) परीक्षा, 2022 आंशिक रूप से उत्तीर्ण की है और विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार शेष प्रश्नपत्रों को उत्तीर्ण करने के हकदार हैं, ऐसे अभ्यर्थियों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि उन्हें एक ही अवसर में परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और</p> <p>(ii) जिन्होंने अपने संगठन में सहायक लेखा या लेखापरीक्षा अधिकारी के पद के लिए संबंधित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	---

<b>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना</b>	<b>वे परिस्थितियाँ जिनके अन्तर्गत भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</b>
<b>(12)</b>	<b>(13)</b>
<p>समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त महालेखा नियंत्रक – अध्यक्ष;</li> <li>2. मुख्य लेखा नियंत्रक या लेखा नियंत्रक – सदस्य;</li> <li>3. मुख्य लेखा नियंत्रक या लेखा नियंत्रक – सदस्य।</li> </ol> <p>समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त महालेखा नियंत्रक – अध्यक्ष;</li> <li>2. मुख्य लेखा नियंत्रक या लेखा नियंत्रक – सदस्य;</li> <li>3. मुख्य लेखा नियंत्रक या लेखा नियंत्रक – सदस्य।</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

[फा. सं. ए-12018/1/2010/आईएमएफ.सीजीए/आरआर]

तृप्ति पात्रा घोस, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Expenditure)**  
(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th February, 2025

**G.S.R. 153(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Civil Accounts Service (Junior Accounts Officer and Assistant Accounts Officer) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Assistant Accounts Officer of the Central Civil Accounts Service, Department of Expenditure, Ministry of Finance, namely:-

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Expenditure, Central Civil Accounts Service, Assistant Accounts Officer (Group ‘B’ Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.**— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post. (1)	Number of post. (2)	Classification. (3)	Level in pay matrix. (4)
Assistant Accounts Officer.	2153* (2025)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘B’, Gazetted, Ministerial.	Level- 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).  <b>Note:</b> Non-functional upgradation in level-9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) on completion of four years of regular service in level- 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) as per this Office Memorandum No. A-60015/1/2014/MF.CGA/NGE/7 <sup>th</sup> CPC/238 dated the 04 <sup>th</sup> July, 2018.

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Selection.	<p>Not exceeding thirty years of age.</p> <p>(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note :</b> The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.</p>	<p><b>Essential qualifications:</b> Bachelor degree from a recognised University or Institute with Commerce or Accounts as one of the subjects.</p> <p><b>Desirable qualifications:</b> Chartered Accountant or Cost Accountant or Company Secretary or Masters in Commerce or Master in Business studies or Master in Business Administration (Finance) or Master in Business Economics from a recognised University or Institution.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
<p>Two years for direct recruits.</p> <p><b>Note:</b> Direct recruits shall be required to pass a Department Examination, namely, Assistant Accounts Officer Computer Based Test (Civil), as prescribed by the competent authority, for successful completion of probation.</p>	<p>(i) ten per cent. by promotion;</p> <p>(ii) ninety per cent. by promotion through Limited Departmental Competitive Examination, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.</p>	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Senior Accountants in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with six years of regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks of training in the areas as prescribed by the department.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Promotion through Limited Departmental Competitive Examination [Assistant Accounts Officer Computer Based Test (Civil) Examination]:</b></p> <p>Departmental candidates who have successfully completed probation wherever prescribed and possessing the eligibility service provided hereunder shall be considered for promotion on the basis of the Limited Departmental Competitive Examination,-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Private Secretaries in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with one year of regular service in the grade.</li> <li>2. Senior Accountants in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with three years of regular service in the grade.</li> <li>3. Computer Operator in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with three years of regular service in the grade.</li> </ol> <p><b>Note 1 :</b> The incumbents who have already cleared the Assistant Accounts Officer Computer Based Test (Civil) Examination, 2022, as per existing guidelines and are awaiting their promotion as Assistant Accounts Officer will not be impacted by the change in the examination eligibility.</p> <p><b>Note 2 :</b> The candidates who have partially cleared the Assistant Accounts Officer Computer Based Test (Civil) Examination, 2022, and are entitled to clear the remaining papers as per the existing guidelines will not be impacted by these rules, subject to clearing the examination in one chance that will be accorded to them.</p>



		<p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers of the Central Government:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(ii) who have qualified the concerned departmental examination in their organisation for the post of Assistant Accounts or Audit Officer.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.</p>
--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee ( for considering promotion) consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Controller General of Accounts – Chairperson;</li> <li>2. Chief Controller of Accounts or Controller of Accounts – Member;</li> <li>3. Chief Controller of Accounts or Controller of Accounts – Member.</li> </ol> <p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation ) consisting of:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Controller General of Accounts – Chairperson;</li> <li>2. Chief Controller of Accounts or Controller of Accounts – Member;</li> <li>3. Chief Controller of Accounts or Controller of Accounts – Member.</li> </ol>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.</p>

[F. No. A-12018/1/2010/MF.CGA/RR]

TRIPTI PATRA GHOSH, Jt. Controller General of Accounts